(ऑ. 20 ए. जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix "D"-1)

[illegible] मुकाम न्याय आपके द्वार कैम्प ग्राम पंचायत सहेडी
[illegible] (R.A.S)

[illegible] जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम सहेडी तहसील बाडी
[illegible] जिला धौलपुर राज0

बनाम

[illegible] तहसीलदार तहसील बाडी बहैसियत लैण्ड होल्डर

दावा बावत

[illegible] नं. 24/17
[illegible] वास्ते इनफिसाल कतई रवय
[illegible] अशोक शर्मा एड0 मिनजानिब मुद्दई श्री

[illegible] मुख्यालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है [illegible] स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1675 रकबा 1 बीघा 13 [illegible] रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम सहेडी नम्बर 1 तहसील बाडी का [illegible] खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार [illegible] में वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

[illegible] ________ मुवलिग .... बावत .... खर्चा इस मुकदमा के मय [illegible] ________ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी [illegible] ________ को अदा करें।

[illegible] मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 06 साल 2017 को [illegible] की गई।

दस्तखत उपखण्डाधिकारी मुहर

मुहर ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

[illegible]	रूपया	न.पै.	मुद्दालय	रूपया	न.पै.
[illegible]			स्टाम्प वकालतनामा		
[illegible] वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
[illegible] सबूत			महनतनामा वकील)रू0		
[illegible] वकील)रू0			खर्चा गवाहान		
[illegible]			फीस कमिश्नर		
[illegible] कमिश्नर			बालत इजराय हुक्मनामा		
[illegible] इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
[illegible]					
मीजान			मीजान		

[illegible] पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का बाहे डिकी के जरिये दिखाया गया हो या/नहीं [illegible] चाहिये।

न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी जिला धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- श्री गोरधनलाल मीना (R.A.S)

1. कैलासी
2. रामहेत

} पुत्रगण राजाराम जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम सहेडी तहसील बाडी जिला धौलपुर राज0 —वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बाडी बहैसियत लैण्ड होल्डर —प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0

दिनांक :- 12.06.2017

दावा संख्या 24/17

निर्णय

वादी द्वारा उक्त उनवानी दावा पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0न0 1675 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा, 1701 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा वाके ग्राम सहेडी नम्बर 1 तहसील बाडी जिला धौलपुर में स्थित है। विवादित आराजी का वादी गैरखातेदार काश्तकार है तथा बन्दोबस्त पूर्व से ही वादीगण विवादित आराजी पर काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी पर बादीगणों को लगातार काश्त करते हुये 40-50 साल से अधिक का समय हो गया है। वादीगणों का लगातार विवादित आराजी पर एकान्तिक आधिपत्य चला आ रहा है। वादीगणों को कानूनन गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है।

प्रकरण में तहसीलदार बाडी से रिकार्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का/तहसीलदार बाडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का/तहसीलदार बाडी कैलासी व रामहेत पुत्रगण राजाराम जाति ब्राम्हण निवासीगण ग्राम सहेडी तहसील बाडी आराजी ख0न0 1675 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा, 1701 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा वाके ग्राम सहेडी नम्बर 1 तहसील बाडी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि आर.टी.एक्ट. की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित नहीं है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख0 न0 1675 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा, 1701 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा वाके ग्राम सहेडी नम्बर 1 तहसील बाडी का वादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी को खातेदार दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम की जा कर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2017 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर)
उपखण्डाधिकारी
बाडी